



e/; i ns'k 'kkl u  
rduhdh f' k{kk] dkS ky fodkl , oa  
j kst xkj foHkkx



i f' k{k. k&fooj f. kdk  
i ns'k l = vxLr 2018

e/; i ns'k dh 'kkl dh; vkbZVh-vkbZ ea  
i ns'k ds fy, foofj f. kdk

dkS ky fodkl l apkyuky; ] e/; i ns'k  
ueh k jkM] tcyig 482008

e/; i ns' k ' kkl u  
rduhdh f' k{kk} dkS ky fodkl , oa jkst xkj foHkkx

**कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश**  
uehk jkM] tcyi g

' kkl dh; vkbM/hvkbZ e s l = 2018 e s vkklykbu i os' k dk dk; Øe

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से अथवा एमपी ऑनलाईन के अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपी ऑनलाईन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोष्क से [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश विवरणिका कौशल विकास संचालनालय की वेबसाइट [www.mpskills.gov.in](http://www.mpskills.gov.in) तथा [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु समय चक्र निम्नानुसार है:-

l -dl	dh tkus okyh dk; bkgH	fnukd dc l s dc rd
1	आवेदकों द्वारा एमपी आनलाईन में आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार/इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायो की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार	06@06@2018 l s 18@06@2018
2	प्रथम चयन सूची डिस्प्ले करना। (एम.पी.ऑनलाईन द्वारा एसएमएस द्वारा आवेदकों को सूचित करना)	22/06/2018
3	प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश (आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो, उन्हें दि. 26/06/2018 को प्रवेश के लिए अंतिम अवसर दिया जायेगा, जिसमें उन्हें विलंब शुल्क राशि रु. 100/- देना होगा)	23/06/2018 से 25/06/2018 विलम्ब शुल्क सहित प्रवेश दिनांक 26/06/2018
4	प्राचार्यों द्वारा इस बावत् सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो की संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी बेवसाईट पर अपलोड की गई है।	27/06/2018
5	रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट पर प्रदर्शित करना।	28@06@2018
6	प्रथम चरण के आवेदकों द्वारा अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करना।	28@06@2018 l s 29@06@2018
7	अपग्रेडेशन की लिस्ट जारी करना।	03/07/2018
8	आवेदकों द्वारा प्रवेश लेना (जिनका अपग्रेडेशन हुआ है, जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रवेश भी नहीं लिया है)	04/07/2018 से 05/07/2018
9	प्राचार्यों द्वारा इस बावत् सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो की संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी बेवसाईट पर अपलोड की गई है।	06/07/2018
10	प्रथम चरण की अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रदर्शित करना।	07/07/2018

l -dz	dh tkus okyh dk; bkgh	fnukad dc l s dc rd
11	प्राचार्य द्वारा इस सूची से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का भौतिक सत्यापन करना।	07/07/2018
12	uohu Pokbll fQfyx& ऐसे प्रशिक्षणार्थी, जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे नवीन प्रकार से पुनः इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अपनी श्रेणी/प्राप्तांक/विशेष श्रेणी/हॉरिजोन्टल केटीगरी/जन्म तिथि/जिला आदि से संबंधित फील्डस में गलत जानकारी भरी हो, वे इन त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे तथा ऐसे आवेदक द्वितीय चयन सूची में पात्र हो सकेंगे।	07/07/2018 से 08/07/2018
13	द्वितीय चयन सूची जारी करना।	12/07/2018
14	द्वितीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश (आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो उन्हें दिनांक 17.07.2018 को प्रवेश के लिए अंतिम अवसर दिया जायेगा, जिसमें उन्हें विलंब शुल्क राशि रु. 100/- देना होगा)	13/07/2018 से 16/07/2018  विलम्ब शुल्क 17/07/2018
15	प्राचार्य द्वारा इस बावत् सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो की संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी वेबसाईट पर अपलोड की गई है।	18/07/2018
16	रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट पर प्रदर्शित करना	19@07@2018
17	द्वितीय चरण के आवेदकों द्वारा अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करना।	20@07@2018
18	अपग्रेडेशन की लिस्ट जारी करना।	24/07/2018
19	आवेदक द्वारा प्रवेश लेना (जिनका अपग्रेडेशन हुआ है तथा जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रवेश भी नहीं लिया है।)	25/07/2018 से 27/07/2018
20	प्राचार्य द्वारा इस बावत् सर्टीफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो की संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी वेबसाईट पर अपलोड की गई है।	28/07/2018
21	द्वितीय चरण में अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रदर्शित करना।	28/07/2018
22	प्राचार्य द्वारा इस सूची से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का भौतिक सत्यापन करना।	30/07/2018
23	uohu Pokbll fQfyx& ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे नवीन प्रकार से पुनः इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अपनी श्रेणी/प्राप्तांक/विशेष श्रेणी/हॉरिजोन्टल केटीगरी/जन्म तिथि/जिला आदि से संबंधित फील्डस में गलत जानकारी भरी हो, वे इन त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे तथा ऐसे आवेदक द्वितीय चयन सूची में पात्र हो सकेंगे।	31/07/2018 से 01/08/2018
24	तृतीय चयन सूची जारी करना	06/08/2018

l -dz	dh tkus okyh dk; /bkg	fnukad dc l s dc rd
25	तृतीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश (आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया तो, उन्हें दिनांक 09.08.2018 को प्रवेश के लिए अंतिम अवसर दिया जायेगा, जिसमें उन्हें विलंब शुल्क राशि रु. 100/- देना होगा)	07/08/2018 से 08/08/2018 विलंब शुल्क 09/08/2018
26	प्राचार्यों द्वारा इस बावत् सर्तीफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो की संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी वेबसाईट पर अपलोड की गई है।	10/08/2018
27	रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट पर प्रदर्शित करना	11/08/2018
28	तृतीय चरण के आवेदको द्वारा अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करना	13/08/2018
29	अपग्रेडेशन की लिस्ट जारी करना।	17/08/2018
30	आवेदक द्वारा प्रवेश लेना (जिनका अपग्रेडेशन हुआ है तथा जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रवेश भी नहीं लिया है।)	18/08/2018 से 21/08/2018
31	प्राचार्यों द्वारा इस बावत् सर्तीफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो की संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी वेबसाईट पर अपलोड की गई है।	23/08/2018
32	तृतीय चरण में अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रदर्शित करना।	24/08/2018
33	प्राचार्य द्वारा इस सूची से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का भौतिक सत्यापन करना	24/08/2018
34	संस्था स्तर पर रिक्त स्थानों की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना।	25/08/2018
35	bUVjuy LykbfMx	
35.1	आवेदकों द्वारा विकल्प देना. च्वाईस फिलिंग	27/08/2018 से 28/08/2018
35.2	एमपी ऑनलाईन द्वारा प्रवेश की सूची जारी करना	01/09/2018
35.3	आवेदकों द्वारा प्रवेश लेना	04/09/2018
36	संस्थावार व्यवसायवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट पर प्रदर्शित करना।	05/09/2018
37	संस्था स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदकों द्वारा संस्था विशेष के व्यवसायो के लिए च्वाईस फिलिंग करना।	06/09/2018 से 07/09/2018
38	संस्था स्तर प्रवेश की चयन सूची जारी करना।	12/09/2018
39	प्रवेश।	13/09/2018 से 14/09/2018
40	अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रदर्शित करना।	17/09/2018
41	प्राचार्य द्वारा इस सूची से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का भौतिक सत्यापन करना।	17/09/2018

नोट: ; fn dkb/ vkond fooj.k if=dk dz djuk pkgrk gs rks jkf'k : - 100@& dk Hkpxrku dj fooj.k if=dk dh ifr l xf/kr ikpk;l vkbMhvkb/ ls iklr dj l drk gM

vkS| kfxd i f' k{k. k | LFkk ea i os'k dh i ) fr

vkosndka dks i os'k dh iz.kkyh Li "V djus ds mnns'; | s i ) fr dks foLrkj | s fuEkuq kj Li "V fd; k tk jgk gS %&

1. vkUykbZu jftLV\$ ku -

एम.पी. ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन तथा त्रुटि सुधार तथा इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार ( च्वाइस फिलिंग) के लिए आवेदकों को समझाईश दी जाती है कि वे अधिक से अधिक व्यवसायों/संस्थाओं के विकल्प भरे, ताकि श्रेणी विशेष के आवेदकों की उपलब्धता न होने पर सीटों को अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने की स्थिति में प्रवेश की संभावनायें बनी रहे। पंजीयन के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।

1.1 आई.टी.आई में प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों को ही सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

1.2 अभ्यर्थी पंजीयन हेतु अपने स्वयं के अथवा अन्य किसी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं अथवा एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर पंजीयन की कार्यवाही कर सकते हैं।

1.3 अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 85/- देना होगा, जिसमें से रूपये 35/-पंजीयन के समय तथा रूपये 50/-च्वाइस (विकल्प) लॉक (LOCK) करते समय देने होंगे। अभ्यर्थी यदि पंजीयन त्रुटि सुधार अथवा प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो पोर्टल शुल्क राशि रु. 15/- देना होगा। इसी प्रकार यदि आवेदक नवीन च्वाइस फिलिंग करना चाहेंगे तो उन्हें च्वाइस के विकल्प देने के लिए पुनः राशि रु. 50/- देना होगा। उक्त राशि में रजिस्ट्रेशन फार्म का एक पेज तथा च्वाइस फिलिंग के तीन पेज का प्रिन्ट आउट सम्मिलित है, जो संबंधित कियोस्क द्वारा संबंधित आवेदक को दिया जाएगा। यदि कोई कियोस्क इससे अधिक राशि की मांग करते हो, तो 0755 - 4019400 पर आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

1.4 पोर्टल शुल्क अधिकृत कियोस्क में नगद भुगतान किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन पेमेन्ट द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं :-

1. इंटरनेट बैंकिंग
2. ए.टी.एम. सह डेबिटकार्ड
3. क्रेडिट कार्ड

## 1.5 [i ath; u dh fof/k&](#)

1.5.1 उम्मीदवार को सर्वप्रथम एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाइट [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) को खोलना होगा। इस वेबसाइट पर “ITI Counselling” प्रदर्शित की गई है। उम्मीदवार को ITI Counselling पर क्लिक करना होगा। सिटीजन सर्विसेस का पेज खुलने पर आई.टी.आई काउंसलिंग लोगो दिखाई देगा उम्मीदवार को आई.टी.आई काउंसलिंग लोगो पर क्लिक करना होगा।

1.5.2 आई.टी.आई काउंसलिंग लोगो पर क्लिक करने पर आई.टी.आई काउंसलिंग का होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् एक पेज खुलेगा। उम्मीदवार को इस पेज पर दर्शाई गई समस्त आवश्यक जानकारियाँ भरना होगा।

1.5.3 आवेदक को अपना फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।

1.5.4 **"Save data"** option पर क्लिक करें।

1.5.5 **"Proceed to payment for registration"** पर क्लिक करें। इसके उपरांत निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

1.5.6 पंजीयन शुल्क भुगतान कर “Print” पर क्लिक कर रसीद प्राप्त करें।

1.5.7 अस्थाई पासवर्ड पंजीयन शुल्क भुगतान रसीद पर अंकित होगा।

1.5.8 अभ्यर्थी को अपना प्रथम पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से बदलना चाहिए।

1.5.9 अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही कर ली गई है, इस बाबत जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।

2- [jftLV\\$ku e# =fV | qkkj](#) –यदि आवेदक द्वारा पंजीयन के समय कोई त्रुटि हो जाती है तो संबंधित जानकारी में बदलाव इस लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। इस हेतु रु. 15/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

3- [bfPNr | LFkkvka rFkk 0; ol k; ka dh i kFkfedrk Øe dk p; u djuk&](#)

3.1 व्यवसाय एवं शासकीय आईटीआई की च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी यह सावधानी रखे की वह प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं व्यवसायों का चयन करें, जिन व्यवसायों में वे शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने का इच्छुक है एवं इस हेतु वे पात्र है।

3.2 अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में से जो व्यवसाय व शासकीय आईटीआई में उसके अनारक्षित मेरिट के आधार पर निर्धारित होगा, वह उच्चतर विकल्प उसकी मेरिट के आधार पर उपलब्ध होने पर आवंटित होगा।

3.3 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को उच्चतर विकल्प निम्नानुसार आवंटन किया जावेगा :-

(क) अनारक्षित मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले विकल्प तथा

(ख) उसके आरक्षित प्रवर्ग की मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले विकल्प में से यदि (क) व (ख) समान हो तो (क) अनुसार सीट आवंटित की जावेगी।

### 3-4 Pokb] fQfyx dh i fdz; k &

- 3.4.1 अभ्यर्थी व्यवसायों एवं शासकीय आईटीआई का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे ।
- 3.4.2 प्राथमिकता क्रम के चयन हेतु [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) वेबसाइट ओपन करना होगा। ऐसा करने पर होम पेज प्रदर्शित होगा जिस पर “**ITI Counselling**” पर क्लिक करने पर खुले हुए पेज पर “**ITI Counseling**” पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् “**ITI Counseling**” का होम पेज खुलेगा, जिसमें “**Login For Choice Filling**” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुले हुये पेज पर “**View Instructions**” नाम की लिंक पर क्लिक करना होगा एवं दिये गये दिशा निर्देशो को भलीभांति पढ़ना होगा। दिये गये दिशा निर्देशो को अच्छी तरह से पढ लेने के पश्चात् आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि निर्धारित स्थान पर अंकित करना होगा और “**Submit**” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात् अभ्यर्थी से जब पासवर्ड पूछा जायेगा, तब पासवर्ड अंकित करना होगा। उसके बाद “**Login For Choice Filling**” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद च्वाइस फिलिंग का पेज खुलेगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी को पासवर्ड अंकित करना होगा। यदि पूर्व में पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है, तो पासवर्ड में परिवर्तन कर नए पासवर्ड का चुनाव करना होगा, जिसमें कम से कम 06 अक्षर/अंक होना चाहिए। परिवर्तित पासवर्ड अंकित करने के पश्चात् “**Login For Choice Filling**” बटन पर क्लिक करना होगा। यदि पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित कर लिया था, तो वह परिवर्तित पासवर्ड भरकर ~ **Login For Choice Filling** बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् च्वाइज फिलिंग का पेज खुलेगा, उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा तथा इच्छित ट्रेड व आईटीआईवाइज प्राथमिकता के क्रम के आधार पर च्वाइज/विकल्प भरना होगा। च्वाइज भरने के बाद “**Submit list of preference**” पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् जो पेज ओपन होगा उस पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गई च्वाइज प्रदर्शित होंगी, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए होंगे – “**Save**” एवं “**Change your choice**”। यदि अभ्यर्थी चुने हुए विकल्प से संतुष्ट हैं, तो “**Save**” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एवं अगर परिवर्तन चाहते हैं तो “**Change your choice**” पर क्लिक कर फिर से प्राथमिकता क्रम च्वाइस बदल सकते हैं। “**Save**” बटन पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के सुरक्षित विकल्प पुनः प्रदर्शित होंगे ।
- 3.4.3 यदि “**Save**” की हुई च्वाइजेस में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो भुगतान करने के पूर्व “**Log out from choice filling**” पर क्लिक करना होगा एवं “**choice filling**” की प्रक्रिया पुनः करनी होगी। आपके द्वारा पूर्व में “**Save**” की हुई च्वाइसेज उसी क्रम में प्रदर्शित होंगी।
- 3.4.4 इच्छित प्राथमिकता क्रम को अंतिम रूप से चयन कर “**Lock** करने के लिये “**Proceed to Payment to Lock your choice**” पर क्लिक कर भुगतान करना होगा। बिना भुगतान करें आपकी च्वाइस लॉक नहीं होग तथा सीट का आवंटन संभव नहीं होगा। “**Lock**” करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अपनी

संतुष्टी के लिये कई बार बदल सकता है । “Lock” करने के बाद प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन नहीं होगा।

- 3.4.5 सीटों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये च्वाइस/विकल्प के अनुसार ही होगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों का चुनाव करने में कोई त्रुटि करता है, तो ऑनलाईन प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार (Rechoice filling) लिंक का प्रयोग कर त्रुटि सुधार किया जा सकता है। इसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। अतः विकल्पों का चुनाव पूर्ण सावधानी से करने के पश्चात् ही च्वाइस लॉक करना चाहिए।
- 3.4.6 अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही कर ली गई है, इस बाबत जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- 4- यदि इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन में अंकित की गई जानकारी में कोई त्रुटि हो गई हो, तो इस जानकारी में सुधार किया जा सकता है। त्रुटि सुधार के लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रूपये 15/- पोर्टल शुल्क निर्धारित है।
- 5- प्रथम चयन सूची को एमपी ऑनलाईन तथा संचालनालय कौशल विकास के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। समस्त आवेदक निर्धारित समयचक्र के अनुसार पोर्टल को अवश्य देखें ताकि उन्हें चयन सूची की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। समस्त आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर मैसेज को अवश्य देखें।
- 6- **चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश**—आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना आवश्यक है। यदि उनके द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लिया गया, तो उन्हें प्रवेश के लिए अंतिम अवसर दिया जायेगा, जिसमें उन्हें विलंब शुल्क राशि रु. 100/- देना होगा।
- 6.1 अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर अनारक्षित मेरिट के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सीटों का आवंटन किया जावेगा। आवंटित विषय/संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में रहेगा। आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) वेबसाइट ओपन करें खुले हुये पेज पर “ITI Counselling” पर क्लिक करने पर खुले हुए पेज पर “ITI Counseling” पर क्लिक करें। होम पेज ओपन होगा। इस पेज पर “Print Allotment letter” नाम की लिंक पर क्लिक करें एक पेज खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी को अपना रोल नम्बर/जन्मतिथि/काउंसिलिंग का प्रकार चुनना होगा तथा अपना पासवर्ड डालकर “Login To View Allotment letter” पर क्लिक करें एक पेज खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी, उसके द्वारा भरे गये विकल्प एवं आवंटित सीट प्रदर्शित



होगी। यदि अभ्यर्थी उसके द्वारा भरी गई च्वाइजेस को देखना चाहता है तो "View College/subject preference" पर क्लिक करना होगा।

6.2 सीट आवंटन की जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।

6.3 अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट संपूर्ण मूल दस्तावेज की छायाप्रति के दो सेट एवं दो फोटोग्राफ लेकर संबंधित आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा :-

- अर्हकारी परीक्षा 10वीं की अंक सूची ।
- म.प्र.का मूल निवासी/स्थानीय/वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र।
- स्थाई जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिये)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र ।
- विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र (आवेदक द्वारा दर्शाये गये ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक दक्षता का परीक्षण संस्था स्तर पर निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा तथा तदानुसार ही प्रवेश की पात्रता हेतु सत्यापन किया जाएगा)
- अन्य संबंधित प्रमाण पत्र।

6.4 अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की कार्यवाही संबंधित शासकीय आईटीआई जहां अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई है, में ही की जायेगी। इस कार्य को करने के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जायेगी समयावधि की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं इन शासकीय आईटीआई में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका प्रवेश स्वमेय ही निरस्त हो जायेगा।

6.5 उम्मीदवार के सभी मूल अभिलेखों के सही पाये जाने एवं सत्यापन होने के उपरांत ही आईटीआई में प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पायी जाती है, तो आईटीआई द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

vkofVr | 1Fkk ea vius emy nLrkost dnkfi tek u dj rFkk | R; ki u  
mijkr okfil ys yA fdlh Hkh vutku 0; fDr dks vius  
nLrkost@QksVksdki h u nA vkofVr | 1Fkk ea i os'k ds | e; vko'; d  
nLrkostka dh dpy QksVksi fr gh tek djuh gA

6.6 , d k vH; Fkhz ftl s ml dk i Fke fodYi vkofVr gmk g; ; fn og i os'k ugha yrk gks rks ml dk i os'k fujLr gks tk, xk rFkk og vkxs dh dkmfl fyax ds fy, ik= ugha gksxkA

7- fjDr l hvk dh tkudkj h osl kbM ij inf'kr djuk& प्रथम चरण की प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों का संस्थावार, व्यवसायवार, श्रेणीवार विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

8- vkondk }kj k vi xM's ku ds fy, vkonu djuk—ऐसे आवेदक, जिन्हें उनकी इच्छा की संस्था अथवा व्यवसाय में प्रवेश नहीं मिला, इच्छित संस्था तथा व्यवसाय के लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित आवेदक सम्मिलित हो सकते हैं:—

(A) ऐसे छात्र, जिन्होंने ने आईटीआई में प्रवेश ले लिया है एवं अपने आवंटित व्यवसाय को उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय में बदलना चाहते हैं। इसके लिये वे अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं। इस स्थिति में उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय आवंटित होने पर पूर्व आवंटित व्यवसाय स्वयं निरस्त हो जायेगा, किन्तु उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व प्रवेशित व्यवसाय यथावत् रहेगा।

(B) ऐसे छात्र, जिन्हें पूर्व में व्यवसाय आवंटित हो गया था, किन्तु उन्होंने आईटीआई में प्रवेश नहीं लिया है वे भी अपग्रेडेशन का विकल्प चुन कर उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व आवंटित व्यवसाय में आवंटन स्वयं निरस्त हो जायेगा किन्तु उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व आवंटित व्यवसाय यथावत् रहेगा। ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम अथवा द्वितीय चरण में व्यवसाय आवंटित हो गया था, किन्तु उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया न ही अपग्रेडेशन के लिये भरा गया ऐसे आवेदकों का पूर्व में आवंटित व्यवसाय स्वयं निरस्त हो जायेगा। ; fn ubl PokbZ fOfyax Hkh ugha dh rks vkond i os'k i fØ; k l s i k r % ckgj gks tk; xkA

vi xM's ku ds i f j i ; e a ; fn vkond dk i os'k fdl h , d l l Fkk l s nll jh l l Fkk e a gsrk gS rks vkond dks ftl l l Fkk e a i os'k i klr gksxk ml e a i Fkd l s i f' k {k. k 'kq'd , oa dkl ku euh tek djuh gksxhA i wZ dh l l Fkk e a tek fd; k x; k i f' k {k. k 'kq'd i klr djus ds fy, fuEukuq kj dk; bkg h dh tk, xh%&

1- l æf/kr i f' k {k. k Fkhz ftl vkbMhvkbZ e a i os'k r gksxk ml l l Fkk ds i kpk; l dks vkonu i = i Lr r djxkA

2- l æf/kr i kpk; l }kj k ; g i æf. kdj . k djrs gq ml vkbMhvkbZ ds i kpk; l dks l fpr djsx a fd l æf/kr i f' k {k. k Fkhz }kj k muds vkbMhvkbZ e a i os'k fy; k x; k gS rFkk ml l s i f' k {k. k 'kq'd i klr fd; k tk p pdk gA vr, o l æf/kr i f' k {k. k Fkhz }kj k mudh l l Fkk e a tek fd; k x; k i f' k {k. k 'kq'd ml g a okfi l fd; k tk, A

- 3- I æf/kr i f' k{k.kkFkhZ vi uk i wZ eæ tek fd; k x; k i f' k{k.k 'kq'd  
i klr djus ds fy, I æf/kr vkbMhvkbZ eæ mi fLFkr gksxk rFkk  
oræku eæ ftI I LFkk eæ iæf' kr g] ml I LFkk ds i kpk; Z dk i =  
i LRr djsxA
- 4- I æf/kr vkbMhvkbZ ds i kpk; Z }kjk vkond dks i f' k{k.k 'kq'd dh  
jkf'k ux n ykSvkbZ tk, xhA

9- uohu Pokb] fQfyæ- प्रथम चरण की चयन सूची जारी होने के उपरांत तथा संस्थावार, व्यवसायवार रिक्त स्थानों को देखते हुए आवेदकों द्वारा यह विश्लेषण किया जा सकता है कि उन्हें पहली बार किये गये च्वाइस फीलिंग के आधार पर उनकी इच्छा की संस्था अथवा व्यवसाय में प्रवेश मिल सकता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक यह महसूस करता है कि उसके द्वारा पहली बार जो च्वाइस फीलिंग दी गई थी, वह उसके हित में नहीं है तो ऐसे आवेदक नवीन प्रकार से पुनः इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते हैं। च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

(A) ऐसे छात्र जिन्होंने आईटीआई में प्रवेश प्राप्त कर लिया है एवं बाद के चरणों में पुनः च्वाइस फिलिंग करना चाहते हैं। नई च्वाइस फिलिंग करने पर पूर्व आवंटित व्यवसाय एवं प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं आवेदक की नई च्वाइस फिलिंग प्रभावी रहेगी। यदि आप इस च्वाइस को भरेंगे, तो आपका जिस संस्था एवं ट्रेड में प्रवेश हो गया है, वह निरस्त हो जायेगा। इस च्वाइस को भरने के बाद आप नवीन आवेदक के रूप में माने जायेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि आपको नवीन च्वाइस अनुसार प्रवेश मिल जाये। अतएव नवीन च्वाइस फिलिंग करने के पूर्व विचार कर लें।

(B) यही स्थिति ऐसे आवेदकों के लिये भी है, जिन्होंने व्यवसाय आवंटित होने पर आईटीआई में प्रवेश नहीं लिया है एवं नई च्वाइस फिलिंग करना चाहते हैं उनका भी पूर्व आवंटित व्यवसाय निरस्त हो जायेगा एवं आवेदक की नई च्वाइस फिलिंग प्रभावी रहेगी।

(C) ऐसे आवेदक, जिन्हें पूर्व में कोई व्यवसाय आवंटित नहीं हुआ है वे पुनः अपनी च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। नई च्वाइस फिलिंग करने पर पूर्व की च्वाइस फिलिंग समाप्त हो जाएगी।

(D) नई च्वाइस फिलिंग नहीं करने की स्थिति में उनकी पूर्व की च्वाइस फिलिंग ही प्रभावी रहेगी।

(E) ,s s vkond] ftlgkæus i wZ es vi uh Js kh@i klrkad@fo' ks'k  
Js kh@gkVj tkjVy ds/hxjh @tle frfFk@ftyk vkfn I s I æf/kr QhYMI  
eæ xy r tkudkj h Hkj h gkj os Hkh bu =fV; kV dk I q/kkj dj I dsæ s rFkk , s s  
vkond vkxkeh p; u I ph es i k= gks I dsæ s A

- 10- उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर द्वितीय चयन सूची जारी की जायेगी। आवेदकों के प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। आवेदकों द्वारा अपग्रेडेशन के लिए पोर्टल पर आवेदन किये जायेंगे। नवीन च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही की जायेगी तथा तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी। तृतीय सूची के प्रवेश के उपरांत रिक्त स्थानों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
11. bWjuy LykbfMx-तृतीय चयन सूची के प्रवेश के उपरांत संस्थाओं में रिक्त स्थानों को भरने के लिए इंटरनल स्लाइडिंग की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इंटरनल स्लाइडिंग के तहत की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार होगी :-
- 11.1 यह कार्यवाही संस्था विशेष के लिए लागू होगी। स्पष्टतः यह कि किसी एक संस्था में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी उसी संस्था में रिक्त स्थानों के लिए इंटरनल स्लाइडिंग हेतु विकल्प भर सकेंगे।
- 11.2 इंटरनल स्लाइडिंग के तहत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को अपनी उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसायों में विकल्प देने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पात्र आवेदकों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- 12- lLFkk Lrj ij i0'sk &
- 12.1 संस्था स्तर पर प्रवेश के लिए वे ही आवेदक पात्र होंगे, जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया है तथा जिन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है।
- 12.2 संस्था वार व्यवसाय वार श्रेणी वार रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।
- 12.3 इच्छुक आवेदक संस्थावार व्यवसायों के लिए अपनी प्राथमिकता का क्रम पोर्टल पर भरेंगे।
- 12.4 संस्था स्तर पर प्रवेश की चयन सूची एमपी ऑन लाइन द्वारा जारी की जायेगी। यदि चयन सूची के उपरांत भी स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो द्वितीय चयन सूची जारी की जायेगी एवं प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
- 13- vfre : i l s i0f'kr i f'k{k.kkfFKz; ka dh l adfyr l p h i n f'k r dh tk; sxh rFkk bl ds mi j k r i 0'sk dh dksbZ dk; bkg h ugha dh tk; sxh vFkkRk- tks Hkh LFkku fjDr jg tk; xs og vrr% fjDr gh jgxA
- 14- i kpk; l ds fy, fof' k"V fun' k&
- 14-1 प्रत्येक चरण के प्रवेश के उपरांत प्राचार्यों द्वारा इस बाबत सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना, जिसमें यह स्पष्ट हो कि संस्थावार, व्यवसायवार कितने आवेदकों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है तथा प्रवेशित समस्त आवेदकों के प्रवेश की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यदि प्रवेशित समस्त आवेदकों की जानकारी

वेबसाईट पर अपलोड नहीं की जा सकी है तो संस्थावार, व्यवसायवार प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम तथा व्यवसाय का नाम इसी सर्टीफिकेट के साथ अपलोड किया जाए।

14.2 पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि आवेदक त्रुटिवश अपनी Js kh@i klrkad@fo' k's'k Js kh@gklj tkjVy dshxj h@tle frffk@ftyk vkfn को गलत दर्शा देते है जिसके कारण उनका नाम चयन सूची में आ जाता है, किंतु जब वे प्रवेश के लिए संस्था में उपस्थित होते है, तो त्रुटि पता चलने पर उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है।  
, s vkond ftUgkaus i nZ es viuh Js kh@i klrkad @fo' k's'k Js kh@gklj tkjVy dshxj h @tle frffk@ftyk vkfn l s l cf/kr QhYMI es xyr tkudkj h Hkj h gk s os Hkh bu =fV; kW dk l q'kkj dj l d s rFkk , s vkond f}rh; p; u l ph es ik= gk s l d s A

14.3 प्रवेश के उपरांत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का ऐसा डाटा जो मेरिट सूची को प्रभावित नहीं करता है जैसे प्रशिक्षणार्थी का नाम/माता पिता का नाम /पता आदि को सही प्रकार से सुधार कर पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिये प्राचार्यों को लागिन आई डी तथा पासवर्ड एम0पी0 ऑन लाईन द्वारा दिया जावेगा। प्राचार्य की यह जवाबदारी होगी कि वे प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा सुधार करें।



1 Hkifedk %&

आई.टी.आई.में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उद्योगों के लिए कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूर्ति की जा सकें तथा आवेदक स्वयं के लघु उद्योग/स्वरोजगार स्थापित कर सकें।

2- I kekU; tkudkjH %&

- 2.1 आई.टी.आई.में जो व्यवसाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) की मान्यता के हैं उनमें परीक्षा के उपरांत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है। जिन व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) की मान्यता नहीं है, उनमें परीक्षा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) के अंतर्गत संचालित की जाती है तथा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है।
- 2.2 प्रवेश प्रवीणता के आधार पर निर्धारित आरक्षण के अनुसार दिया जावेगा।
- 2.3 प्रवेश की कार्यवाही व्यवसायवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची बनाकर की जावेगी।
- 2.4 प्रशिक्षण की अवधि व्यवसायों के अनुसार एक वर्ष एवं दो वर्ष है। विवरण i jf' k"V& , d में दर्शाया गया है।
- 2.5 प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन पांच घण्टे प्रायोगिक एवं ढाई घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं, शैक्षणिक स्कूल/कालेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं।
- 2.6 प्रवेश लेने के बाद किसी भी प्रशिक्षणार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती हैं।
- 2.7 प्रत्येक विषय में अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- 2.8 लगातार 10 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.9 संस्था से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के लिए प्राचार्य एवं उनसे उच्च अधिकारी अधिकृत होंगे।
- 2.10 प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षणार्थी को कोई चोट/हानि पहुँचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जिसके लिये प्रवेश के समय आवेदक को संलग्न i ii =&13 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.11 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। केन्द्र शासन के अंतर्गत आने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों के उनके स्थानांतरण आदेश के आधार पर उनके पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश के लिए आवेदन की पात्रता होगी।

3- i f' k{k.k 'kq/d %&

शासन के पत्र क्रं. 973/842/2015/42-2 भोपाल दिनांक 01.05. 2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क राशि रु. 3000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष है। एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए राशि रूपये (3000/-), एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए राशि रूपये (6000/-) है। शासन के पत्र क्रमांक 355/247/2016/25-5 भोपाल, दिनांक 01.04.2016 में निहित निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्रथमतः प्रवेश दिया जावेगा तथा शुल्क की प्रतिपूर्ति बाद में की जायेगी। तदनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक से प्रशिक्षण शुल्क को प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने के लिये संबंधित प्राचार्य द्वारा यथा कार्यवाही की जायेगी।

अतएव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को छोड़कर शेष सभी आवेदकों को राशि रूपये (3000/-) प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है।

fuEukuq kj Js kh@oxl ds vkondka dks i f' k{k.k 'kq/d dh jk'k dh i fri frl i klr djus ds fy, muds Lrj l s 'kkl u }kj k fu/kkfr dk; bkg h dh tkuk gkxh&

3.1 विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदक (शासन के आदेश क्रमांक एफ 14-2/2008/बयालीस-2 दिनांक 20.4.2016 के अनुसार जो मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी है तथा माता पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय रु 120000/- से अधिक न हो) ऐसे आवेदकों को प्रवेश के समय i;i =&ckjg पर आवेदन करना आवश्यक होगा। पात्र होने पर राशि की प्रतिपूर्ति संस्था द्वारा की जायेगी।

3.2 गैस राहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपाल में प्रवेश लेने वाले गैस पीड़ित एवं उनके आश्रित।

3-3 vl xfbR debdkj ds i f' k{k.k 'kq/d e% Nw&

3.3.1 मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-14-2/2008/ 42-2, भोपाल दिनांक 04.05.2018 द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान को शैक्षणिक शुल्क से छूट के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं -

3.3.2. पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान को आईटीआई में प्रशिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। ऐसे आवेदक, अपने माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक आवेदन पत्र में दर्ज करेंगे। आवेदक द्वारा प्रवेश के दौरान अन्य दस्तावेज के साथ असंगठित कर्मकार के पंजीयन क्रमांक का भी सत्यापन किया जायेगा। यदि उनके द्वारा यह पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत नहीं भी किया जाए तो प्राचार्य द्वारा इसका सत्यापन [www.shramiksewa.mp.gov.in](http://www.shramiksewa.mp.gov.in) के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे आवेदकों के प्रवेश के उपरांत संबंधित प्राचार्य बजट से निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क की

राशि आहरित कर सकेंगे। राशि का आहरण 15 अगस्त, 2018 के उपरांत किया जायेगा। यह बजट विक्रमादित्य शिक्षा योजना के तहत विकलनीय होगा।

4- vk; q | hek% सभी व्यवसायों के लिये उम्मीदवारों की आयु 01 अगस्त, 2018 को 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये।

5- 0; ol k; okj 'k&kf.kd ; k&; rk %&

विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी ijf'k"V&, d पर है। आवेदक यह भलीभांति जांच लेवें कि वे संबंधित व्यवसायों के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हैं अथवा नहीं।

6- | dFkkvk& e& fofHkUUK 0; ol k; k& e& i d's'k dh | hV& %&

आई.टी.आई.के नाम तथा उनमें व्यवसायों के लिए स्थानों का विवरण ijf'k"V&pkj पर दर्शाया गया है। एस.सी.व्ही.टी. के तहत व्यवसायों के अंतर्गत दर्शाई गई संस्थाओं के व्यवसायों में प्रवेश तथा परीक्षा की कार्यवाही राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) के अंतर्गत की जावेगी।

7- i d's'k e& vkj {k.k %&

7.1 प्रत्येक व्यवसाय में 50 प्रतिशत स्थान उस जिले के आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिस जिले में संस्था स्थापित है तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान प्रदेश के आवेदकों से भरे जावेंगे। जिले के आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर प्रदेश के आवेदकों से भरे जा सकेंगे।

7.2 ofVldy vkj {k.k

1. अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	21 प्रतिशत
3. पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न स्तर को छोड़कर)	14 प्रतिशत

7.2.1 आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तन कर भरा जावेगा :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी से भरे जावेंगे।

7.2.2 ऐसे आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों जो स्वयं की योग्यता के आधार पर निर्धारित सामान्य मापदण्ड के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता क्रम सूची में चयनित हो जायेंगे, उनकी गणना सामान्य श्रेणी में ही की जायेगी।



### 7-3 gkfj tkjVv vkj {k.k &

7.3.1 efgykvk ds fy, -मध्यप्रदेश की महिला नीति के अन्तर्गत पुरुष आई.टी.आई.में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये निम्न प्रावधान अनुसार आरक्षित किये गये हैं :-

1. 30 प्रतिशत आरक्षण वर्टिकल एवं होरिजोण्टल श्रेणी में होगा ।
2. किसी भी वर्टिकल श्रेणी या उसके अंतर्गत होरिजोण्टल वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी/वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जायेंगे।

7-3-2 fu% kDr tu vkond- ऐसे आवेदक जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा g} के लिये 6 प्रतिशत (अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित प्रत्येक को 2-2 प्रतिशत) सीटें आरक्षित हैं।

7.3.2.1 Jo.k ckf/kr vkondk ds fy; & सत्र अगस्त 2018 में शत प्रतिशत श्रवण बाधित आवेदकों के संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायों में सीटों का आरक्षण किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :

स.क्र.	जिले का नाम	संस्था का नाम	अवधि	ट्रेड का नाम	एससीव्हीटी सीटें
1	जबलपुर	आदर्श जबलपुर	एक वर्ष	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (श्रवण बाधित/मूकबधिर)	20
2	mTt&	mTt&	एक वर्ष	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (श्रवण बाधित/मूकबधिर)	20
3	bUnkj	vi& bnkj	एक वर्ष	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (श्रवण बाधित/मूकबधिर)	20
4	bUnkj	vi& bnkj	एक वर्ष	फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी (श्रवण बाधित/मूकबधिर)	20
5	Hkksi ky	xJ jkgr Hkksi ky	एक वर्ष	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (श्रवण बाधित/मूकबधिर)	20
6	jhok	jhok	एक वर्ष	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (श्रवण बाधित/मूकबधिर)	20
<b>योग</b>					<b>120</b>

ऐसे आवेदक जो शत-प्रतिशत श्रवण बाधित की श्रेणी में आते हों, वे उक्त संस्थाओं में दर्शाये गये व्यवसायों के लिये आवेदन कर सकेंगे। जो आवेदक शत-प्रतिशत श्रवण बाधित नहीं है तथा श्रवण यंत्रों का उपयोग कर सुनने की दक्षता रखते हों, वे किसी भी संस्था के लिये आवेदन कर सकते हैं।



7.3.5. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों संचालनालय कौशल विकास तथा मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अधीन कार्यरत/सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के पति/पत्नी तथा पुत्र/पुत्रियों के लिए 05 प्रतिशत।

7.3.6 शासकीय आईटीआई के प्रवेश में एनसीसी के ए, बी तथा सी श्रेणी के उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिये स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 2 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

7.3.7 तैयार किए गए उम्मीदवारों के लिये राज्य में स्थित प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक-एक स्थान निर्धारित किया गया है। इसके लिये उम्मीदवार को जम्मू एवं कश्मीर के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा संस्था में विस्थापितों से प्राप्त आवेदन पत्रों में मैरिट के आधार पर अधिकतम प्राप्तांक के विस्थापित को प्रवेश दिया जायेगा।

7.3.8 में पलने वाले अनाथों के लिये प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक व्यवसाय में एक उम्मीदवार को (किसी भी संस्था में 3 स्थान से अधिक नहीं) प्रवेश दिया जावेगा। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा जिला कार्यालय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य किया जावेगा।

8- कौशल विकास केन्द्रों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक आईटीआई की प्रत्येक ट्रेड में प्रवेश हेतु दो सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रवेश निम्नानुसार किया जावेगा :-

- 1- कौशल विकास केन्द्रों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी आईटीआई में संचालित जिन ट्रेडस के लिये पात्र हैं, उसका विवरण पर है।
- 2- इन आवेदकों को आईटीआई की संबंधित ट्रेड के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है।
- 3- उपरोक्त सीटों के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में प्रवेश का आधार संबंधित ट्रेड के लिए निर्धारित अर्हता की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको की मेरिट अनुसार होगा।

9- केन्द्र शासन की "पीपीपी मोड में आईटीआई का उन्नयन" के तहत सम्मिलित 74 संस्थाओं में से 55 संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे के तहत संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या पर है।

9.1 केन्द्र शासन की "पीपीपी मोड में आईटीआई का उन्नयन" के तहत सम्मिलित 74 संस्थाओं में से 55 संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे के तहत संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या पर है।

9.2 इन सीटों पर एक वर्षीय ट्रेड के लिये प्रशिक्षण शुल्क 15000 तथा दो वर्षीय ट्रेड के लिये 20000 प्रति छात्र निर्धारित होगा। यह राशि संस्था के आईएमसी के खाते में जमा होगी।

9.3 इन सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा।

9.4 समस्त आवेदक जो आईएमसी के कोटे की सीटों में प्रवेश के इच्छुक होंगे उन्हें भी एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन निर्धारित तिथि अनुसार ही आवेदन करना आवश्यक होगा।

यदि आवेदक गैर आई.एम.सी. की सीटों के लिए भी अपना विकल्प देना चाहेंगे तो इसके लिए उन्हें पृथक से च्वाइस देना आवश्यक होगा।

9.5 आईएमसी की सीटों पर प्रवेश के लिये चयन सूची प्रथम सामान्य सूची के साथ ही जारी की जायेगी।

10- fof' k"V | 1Fkk, rFkk mue vkj {k. k &

I - Ø-	fooj .k	I 1Fkkvk ds uke	vkj {k. k
1.	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए & , dy0; vkbMhvkbz	1.धार (केवल पुरुषों के लिए), 2. महिला आईटीआई बैतूल (केवल महिलाओं के लिए), 3. खेड़ी खालवा जिला खण्डवा (सह-शिक्षा), 4.चकल्दी, जिला सीहोर (सह-शिक्षा)	1. प्रत्येक आईटीआई में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी वर्गों के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी, जिसमें राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश 15, 21 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा। 2. योजना का लाभ केवल अनुसूचित जनजाति के लिये ही होगा, अन्य वर्ग के लिये नहीं (छात्रवृत्ति तथा भोजन व्यवस्था) 3. आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कण्डिका 7.2 के अनुसार।
2.	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ( आदिम जाति कल्याण विभाग से पूर्व में हस्तांतरित आईटीआई )	1.बैहर, 2. धामनोद, 3. पीथमपुर, 4. महिला आदिवासी आईटीआई छिंदवाड़ा, 5. महिला सिंघाना 6. आईटीआई मंडला	1. प्रत्येक आईटीआई में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी वर्गों के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी, जिसमें राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश 15, 21 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा। 3. आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कण्डिका 7.2 के अनुसार।
3.	अनुसूचित जाति वर्ग के लिए) डॉ. अम्बेडकर	1. मुरैना (केवल पुरुषों के लिए), 2. महिला आईटीआई सीहोर,	1. प्रत्येक आईटीआई में अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें सभी वर्गों के विद्यार्थियों से भरी जाएंगी जिसमें राज्य शासन के

I - Ø-	fooj . k	I d.Fkkvka ds uke	vkj {k. k
	<b>आईटीआई</b>		<p>नियमानुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमश 15, 21 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा।</p> <p>2. योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के लिये ही होगा अन्य वर्ग के लिये नहीं (छात्रवृत्ति एवं भोजन व्यवस्था)</p> <p>3. आरक्षित श्रेणी के लिये व्यवसाय में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कण्डिका 7.2 के अनुसार।</p>
4	केवल डूब से प्रभावित परिवारों, विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों के लिए	आईटीआई नर्मदानगर	<p>केवल डूब से प्रभावित परिवारों, विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों को प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर अन्य (बाहरी) पात्र आवेदकों को आरक्षण नियमों का पालन करते हुए प्रवेश दिया जा सकेगा।</p> <p>(1) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त परियोजनायें या इंदिरा सागर सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, मानसरोवर एवं जोबट परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।</p> <p>(2) सर्व परियोजना के बच्चों एवं पाल्यों को शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।</p> <p>(3) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित उपर्युक्त परियोजना में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे और इसमें इंदिरा सागर परियोजना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नर्मदा नगर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।</p>
5.	गैस त्रासदी के पीड़ित एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को	गैस आईटीआई भोपाल	<p>गैस राहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपाल में गैस त्रासदी के पीड़ित एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को ही प्रवेश की पात्रता है (मध्यप्रदेश शासन गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास पत्र क्रमांक एफ-5-53-2002/47 दिनांक 26.8.2004)। स्थान रिक्त रहने पर अन्य आवेदकों से निर्धारित आरक्षण अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।</p>

I - Ø-	fooj . k	I dFkkvka ds uke	vkj {k. k
6.	वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित बालाघाट जिले में	आई0टी0आई0 पालडोंगरी जिला बालाघाट	केवल बालाघाट जिले के युवको को ही प्रवेश की पात्रता होगी। स्थान रिक्त रहने पर अन्य आवेदकों से निर्धारित आरक्षण अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
7.	मैनेजमेंट कोटा के तहत सीटे	संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या i f j f ' k " V & r h u पर है।	केन्द्र शासन की "पीपीपी मोड में आईटीआई का उन्नयन" के तहत सम्मिलित 74 संस्थाओं में से 55 संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे के तहत संस्थावार व्यवसायवार सीटों की संख्या i f j f ' k " V & r h u पर है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए प्रशिक्षण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है – 1. एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 15000 / – 2. दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 20000 / – इन संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 9 में दर्शाई गई है।
8.	महिला आईटीआई	महिला जबलपुर महिला छिंदवाडा महिला आदिवासी छिंदवाडा महिला रीवा महिला इन्दौर महिला खण्डवा महिला उज्जैन महिला रतलाम महिला ग्वालियर महिला भोपाल महिला बैतूल (एकलव्य) महिला सिंधाना महिला सीहोर (डॉ. अंबेडकर) महिला सागर	इन संस्थाओं में केवल महिला आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर आरक्षण अनुसार पुरुष आवेदकों से सीटें भरी जायेंगी।

11- Nk=ofRr %&

11.1 अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आयुक्त अनुसूचित जाति विकास द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- 11.2 चार प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को मैरिट छात्रवृत्ति 125/- प्रतिमाह की दर से दी जाती है।
- 11.3 निःशक्त प्रशिक्षणार्थियों को राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा छात्रवृत्ति समय-समय पर निर्धारित दर से प्राप्त होती है।
- 11.4 औ.प्र.संस्था धार, महिला बैतूल, चकल्दी, खेड़ी, मुरैना एवं सीहोर में प्रवेशित संबंधित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
- 11.5 शासन के आदेश क्रमांक एफ 14/2/2008/बयालीस(2)दिनांक 15 सितम्बर 2008 के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों, जो मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी है तथा जिनके माता पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु 75000/- से अधिक न हो तथा परिवार के स्वामित्व मे 10 एकड से अधिक भूमि न हो, तथा जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा न्यूनतम 80 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो, को रूपये 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इसके लिये आवेदकों को i ii = & X; kjg में आवेदन करना होगा।

## 12- tekur jkf'k %&

- 12.1 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को भर्ती के समय 250/- (राशि रूपये दो सौ पचास मात्र) जमानत राशि कॉशनमनी के रूप में जमा करने होंगे। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जा सकेगी, परन्तु यदि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी जानबूझकर साज-सामान को गुम करता है या टूट फूट करता है तथा उसके लिये जिम्मेदार पाया जाता है अथवा बिना किसी ठोस कारण के प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है, तो यह राशि राजसात कर ली जायेगी। साथ ही व्यवसाय परिवर्तन की स्थिति में भी राशि राजसात की जायेगी।
- 12.2 गुम हुई या टूट फूट होने वाली सामग्री के मूल्य की पूर्ति यदि इस राशि से नहीं होती है, तो शेष राशि अलग से वसूल की जायेगी।
- 12.3 प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के तीन वर्ष तक यदि यह राशि वापिस नहीं ली जा सकी तो, फिर नियमानुसार यह राजसात की जायेगी एवं राज्य कोषालय में जमा करा दी जायेगी।

## 13 i fjoh{kk %&

- 13.1 प्रशिक्षण अवधि में संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन प्रशिक्षणार्थियों को करना होगा।
- 13.2 एक माह अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के प्रति रुझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।

14- vuq kkl u %&

संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर उनके विरुद्ध प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जोकि (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना इत्यादि हो सकती है ।

15- fu"dkl u %&

- 15.1 प्रवेश के समय अथवा इसके पश्चात् भी चाही गयी आवश्यक जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न करने पर ।
- 15.2 प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था द्वारा गलत/भ्रामक पाये जाने पर (आवश्यकतानुसार) प्रकरणों को उचित आगामी कार्यवाही के लिये भेजा जा सकता है ।
- 15.3 संस्था के कार्यशाला, छात्रावास, पढन-पाढन में लापरवाही, अनुशासनहीनता या दुराचरण करने पर ।
- 15.4 प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अथवा प्रगति असंतोषजनक होने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अयोग्य पाये जाने पर ।
- 15.5 आवेदक को भर्ती के पूर्व अथवा प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अथवा न्यायालय के किसी भी प्रकरण से संबंधित होना पाये जाने पर ।
- 15.6 प्रवेश गलत है की शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत सही पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा ।

16- vihy %& प्रवेश निष्कासन इत्यादि संबंधी शिकायत अथवा अपील संयुक्त संचालक (औ.प्र.सं.) क्षेत्रीय कार्यालय को सामान्यतः एक माह के अंदर प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थी/अपीलकर्ता के लिये संयुक्त संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारक होगा ।

17- ijh{kk grq | ipuk, j %&

- 17.1 नियमित प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है । 80 प्रतिशत उपस्थिति की गणना वास्तविक उपस्थिति के आधार पर होगी ।
- 17.2 व्यवसाय में प्रायोगिक परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशाप कैलकुलेशन एण्ड साइंस तथा एम्प्लोयबिलिटी स्किल की परीक्षाएँ भी होती हैं, जिसमें अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
- 17.3 प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा थ्योरी विषयों में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

18- ijh{kk 'kq/d %&

- 18.1.1 नियमित प्रशिक्षणार्थी प्रथम प्रयास (एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये ) रूपये 100/- प्रति सेमेस्टर
- 18.1.2 नियमित प्रशिक्षणार्थी द्वितीय एवं उसके आगामी प्रयास के लिये (एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये) रूपये 200/- प्रति सेमेस्टर



19- vU; 'kYd &

19-1 I kbfdy LVs M 'kYd%& संस्था में यदि साइकिल स्टेण्ड स्थित है तो संस्था/ आईएमसी द्वारा निर्धारित साइकिल स्टेण्ड की राशि जमा करना होगी जो कि वार्षिक होगी ।

20- i f' k{k. kkfFk; ka ds LFkkukarj . k %&

20.1 आईटीआई में परीक्षा की कार्यवाही ऑनलाईन पद्धति से होती है। ये कार्यवाहियाँ पॉर्टल पर आधारित होती हैं। इसीलिए आवेदक का आईटीआई में प्रवेश होने के बाद स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। अतएव सभी आवेदकों से यह अपेक्षा है कि वे प्रवेश लेने के पूर्व सोच समझकर निर्णय लें, ताकि आगे कठिनाई न हो।

21- i f' k{k. kkfFk; ka ds vodk'k i k=rk %&

21.1 एक वर्ष में 12 दिवस vkdfLed vodk'k की पात्रता होगी। आकस्मिक अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा ।

21.2 fpfdRI k vodk'k %& रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्ट्रीशनर/असिस्टेन्ट सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी की दशा में एक वर्षीय कोर्स में तीन सप्ताह तथा दो वर्षीय कोर्स में छः सप्ताह अधिकतम अवकाश डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि प्रशिक्षणार्थी बीमारी के कारण दो माह तक गैर हाजिर रहता है, तो उसे संस्था से निष्कासित कर दिया जावेगा। जिसका पुनः प्रवेश क्षेत्रीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जा सकेगा।

21.3 fo'k{k vodk'k %& 10 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी । विशेष परिस्थितियों में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 15 दिवस तक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 30 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। विशेष अवकाश अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, यदि वह छात्रवृत्ति प्राप्त करता है ।

22 I fo/kk; %&

22.1 जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों से प्रतिमाह निर्धारित दर से विद्युत/जलप्रदाय हेतु प्रवेश के समय पूरे वर्ष की राशि एक मुश्त ली जाती है। अनुशासनहीनता या स्वेच्छा से छात्रावास से मुक्त किये जाने पर पूर्व में ली गई राशि वापिस नहीं होगी। छात्रावास में रहने के लिए पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण होगा।

23 i ek.k i =ks dh tkudkj h %&

प्रवेश के समय आवेदक की निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां (जो लागू हों) जांच के लिये लानी होगी। साथ में स्वयं सत्यापित एक-एक प्रतिलिपि साथ में लेकर आवें। इनके अभाव में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

I -dt	i ek.k i =ks dk fooj.k	i zi = dt
1.	व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/अंकसूचियां	
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया हुआ।	i zi = , d
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया हुआ।	i zi = nks
4.	फिजिकली हैण्डिकैप्ड (अपंग) आवेदकों को अपंगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल अथवा अस्थि विशेषज्ञ द्वारा दिया हुआ।	i zi = rhu
5.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके पुत्र/पुत्रियां, पौत्र/पौत्री, नाती/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्रों को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया हुआ हो। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हो।	i zi = pkj
6.	सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक/ अर्द्ध सैनिक बल अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। कार्यरत सैनिक अपने यूनिट के आफीसर कमांडिंग का प्रमाण पत्र	i zi = i kp
7.	संचालनालय प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी/अधिकारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो	i zi = N%
8.	पंजीकृत अनाथ आश्रम का प्रमाण पत्र (जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।	i zi = l kr
9.	जिले के निवासी का प्रमाण पत्र	i zi = vkB
10.	मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र	i zi = ukS
11.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण पत्र	i zi = nl
12.	निर्धन वर्ग के अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए।	i zi = X; kjg
13.	विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आय प्रमाण पत्र।	i zi = ckjg
14.	प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाने वाले शपथ पत्र	i zi = rjg
15.	अंतिम शैक्षणिक संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र।	
	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर अन्य प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की हो तो, मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 381-2417-1-3-74 दि0 11.6.	

l -dz	i æk.k i =k dk foøj .k	i i = dz
	15 के साथ संलग्न प्रपत्र पर ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें। अन्य आवेदकों द्वारा निवास स्थान प्रमाण-पत्र (ग्राम/नगर/तहसील/जिले के निवासी होने का) संस्था के प्राचार्य/किसी राजस्व अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी का भी मान्य होगा ।	

vkonu i = ds l kfk fuEufyf[kr nLrkostk dh .jpeg Ldsu dkk h vi ykM dh tk; s &

- 1 म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र
- 2 आय प्रमाण पत्र
- 3 जाति प्रमाण पत्र
- 4 10 वीं की अंकसूची
- 5 विकलांगता प्रमाण पत्र
- 6 माता-पिता के स्वामित्व में भूमि की जानकारी का राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र

24- समस्त आवेदकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि आईटीआई में एक एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं। समीक्षात्मक जानकारी निम्नानुसार है :-

jk"Vh; 0; kol kf; d i f' k{k.k i fj "kn- ds rgr i kB; dæ % यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा एफीलिएटेड (संबद्धिकरण) होते हैं। प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत आयोजित होती है तथा ऐसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट) प्राप्त होता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को पूरे राष्ट्र में रोजगार के अवसरों की पात्रता होती है।

jkT; 0; kol kf; d i f' k{k.k i fj "kn- ds rgr i kB; dæ % यह पाठ्यक्रम राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा एफीलिएटेड (संबद्धिकरण) होते हैं। प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत आयोजित होती है तथा ऐसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र (स्टेट ट्रेड सर्टीफिकेट) प्राप्त होता है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत संचालित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही होता है, किन्तु प्रक्रियात्मक रूप से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से मान्यता न होने के कारण राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत संचालित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत आवेदक को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत आयोजित परीक्षा में प्राईवेट केन्डीडेट के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होती है।

व्यक्तिगत विवरण  
 व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण  
 व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण  
 व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण व्यक्तिगत विवरण

1. आधार कार्ड नम्बर \* .....
2. समग्र आईडी .....
3. बोर्ड का नाम, जिससे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है. (ड्रॉप डॉउन)  
(एमपी बोर्ड / सीबीएसई / आईसीएससी / अन्य)
4. रोल नम्बर \* .....
5. आवेदक का नाम\* (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी में) .....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
6. पिता / पति / पालक का नाम\* (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी में) .....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
7. माता का नाम\* (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी में) .....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
8. जन्म तिथि\* (DD/MM/YYYY).....  
(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)
9. क्या आप दसवीं कक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण हैं ? (हाँ/नहीं।)  
(विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी [www.ncert.nic.in](#) पर है। आवेदक यह भलीभांति जांच लेवें कि वे संबंधित व्यवसायों के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हैं अथवा नहीं।)
10. क्या आप कौशल विकास संचालनालय के तहत कौशल विकास केन्द्रों से उत्तीर्ण हैं ? हाँ/नहीं।  
(ऐसे आवेदक जो कौशल विकास संचालनालय के तहत कौशल विकास केन्द्रों से उत्तीर्ण हैं, उन्हें [www.ncert.nic.in](#) में दिये गये व्यवसाय तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रवेश के पात्र होंगे।)
11. यदि हाँ, तो निम्न तालिका में जानकारी देवें –

कौशल विकास केन्द्र का नाम (135 एसडीसी के नाम पॉपुलेट करें।)	मॉड्यूल का नाम	उत्तीर्ण करने का माह एवं वर्ष

12- 'kskf.kd foofj.k %&

(एमपी बोर्ड की स्थिति में ऑटो पॉपुलेट तथा अन्य किसी बोर्ड की स्थिति में प्रविष्टि की जाये)

क	उत्तीर्ण परीक्षा	रोल नम्बर	विषय	बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	ग्रेड	प्रतिशत	उत्तीर्ण वर्ष	प्रमाण पत्र में अंकित रोल नं.
1	दसवीं									

ऐसे आवेदक जो एस.डी.सी. मॉड्यूल से उत्तीर्ण हैं उन्हें ijf'k"V&nk\* में दिये गये व्यवसाय तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रवेश के पात्र होंगे ।

13. लिंग\*.....
14. श्रेणी\* (Gen./OBC/SC/ST) .....
15. धर्म\*.....
16. क्या आप मध्यप्रदेश की मूल निवासी हैं \*(हाँ/नहीं)
17. परिवार की वार्षिक आय (रूपये में) \*.....
18. परिवार के स्वामित्व का भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) .....
19. पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पुत्र –पुत्री की स्थिति में माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक .....
20. क्या आप छात्रावास में रहना चाहेंगे ? (हाँ/नहीं।)
21. क्या आप आई.एम.सी. स्कीम के तहत प्रवेश के इच्छुक हैं ? (हाँ/नहीं।)  
(इन सीटों पर एक वर्षीय ट्रेड के लिए प्रशिक्षण शुल्क 15000/- तथा दो वर्षीय ट्रेड के लिए 20000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम प्रति छात्र निर्धारित होगा)
22. क्या आप स्नातक हैं ? (हाँ/नहीं।)
23. ox%& %gkl@ughk
- (1) विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक .....
- (2) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी .....
- (3) सैनिक / भू.पू.सै. / अथवा उनके पुत्र, पुत्री.....
- (4) अनाथ .....
- (5) आई.टी.आई. (विभागीय) .....
- (6) NCC (B-Certificate) .....

24- fo' ks'k Js kh %& %gkll@ughz

- (1) भोपाल गैस पीडित .....
- (2) बाढ़ विस्थापित .....
- (3) नर्मदा बांध योजना .....
- (4) कौशल विकास केन्द्र से प्रशिक्षित .....
- (5) वामपंथ प्रभावित क्षेत्र .....
- (6) शत् प्रतिशत श्रवण बाधित .....
- (7) शत् प्रतिशत दृष्टि बाधित .....

25- orleku i rk %&

- (1) मकान नं. ....
- (2) गली / मोहल्ला.....
- (3) ग्रामीण / शहरी क्षेत्र.....
- (4) ग्राम / शहर का नाम.....
- (5) ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम .....
- (6) जिला \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (7) तहसील ..... (ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (8) विकासखण्ड \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (9) विधानसभा क्षेत्र का नाम \*..... (ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (10) पिन कोड .....
- (11) ई-मेल .....
- (12) मोबाइल नं.\* .....

26- LFkk; h i rk :- (यदि वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक है, तो चेक बॉक्स में क्लिक करें।)

- (1) मकान नं. ....
- (2) गली / मोहल्ला.....
- (3) ग्रामीण / शहरी क्षेत्र.....
- (4) ग्राम / शहर का नाम.....
- (5) ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम .....
- (6) जिला \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (7) तहसील ..... (ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (8) विकासखण्ड \*.....(ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (9) विधानसभा क्षेत्र का नाम \*..... (ऑटो पॉपुलेट करें।)
- (10) पिन कोड .....
- (11) ई-मेल .....
- (12) मोबाइल नं.\* .....

\*bu tkudkfj ; k dks Hkj uk vfuok; l gA

?kk's'k. kk

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैने प्रवेश के संबंध में सभी निर्देश/नियम ज्ञात कर लिए हैं तथा आवेदन पत्रों की सम्पूर्ण जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि मुझे प्रवेश प्राप्त होता है, तो मैं संस्था के नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूँगा/करूँगी, जो देश/प्रदेश/संस्था की शांति एवं अनुशासन के विपरीत हो अन्यथा मुझे संस्था से निष्काशित किया जा सकेगा।



vkbZVh-vkbZea fofHkUu 0; ol k; ka ea i os' k graq ' kXkf. kd ; kX; rk , oa vof/k  
bathfu; fjæ 0; ol k;

स.क्र.	ट्रेड का नाम	ट्रेड कोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
1	ड्राफ्टसमेन मेकेनिकल	224	दो वर्ष	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा समतुल्य।
2	इलेक्ट्रोप्लेटर	233	दो वर्ष	
3	इलेक्ट्रिशियन	231	दो वर्ष	
4	फिटर	227	दो वर्ष	
5	इन्फर्मेेशन कम्युनिकेशन टेक्नालाजी सिस्टम मेंटेनेंस	220	दो वर्ष	
6	इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक	37	दो वर्ष	
7	मशीनिष्ट	222	दो वर्ष	
8	मशीनिष्ट (ग्राइन्डर)	223	दो वर्ष	
9	मैकेनिक (मोटर व्हीकल)	215	दो वर्ष	
10	मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर	48	दो वर्ष	
11	टर्नर	221	दो वर्ष	
12	मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी	216	दो वर्ष	
13	मैकेनिक मेडीकल इलेक्ट्रानिक्स	54	दो वर्ष	
14	इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी	277	दो वर्ष	
15	अटेन्डेन्ट आपरेटर (केमीकल प्लांट)	30	दो वर्ष	
16	लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट)	40	दो वर्ष	
17	मेकेनिक डीजल इंजन	201	एक वर्ष	
18	मेकेनिक (ट्रेक्टर)	202	एक वर्ष	
19	प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर	22	एक वर्ष	
20	आर्किटेक्चरल असिस्टेंट	210	एक वर्ष	
21	प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर	22	एक वर्ष	
22	कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मेंटेनेंस	264	एक वर्ष	
23	फाउण्ड्रीमेन टेक्नीशियन	214	एक वर्ष	
24	इण्डस्ट्रियल पेंटर	11	एक वर्ष	
25	मैकेनिक ऑटो बाँडी रिपेयर	266	एक वर्ष	
26	मैकेनिक ऑटो बाँडी पेंटिंग	267	एक वर्ष	



स.क्र.	ट्रेड का नाम	ट्रेड कोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
27	सोलर टेक्निशियन (इलेक्टिकल)	NEW TRADE	एक वर्ष	
28	पेन्टर जनरल	59	दो वर्ष	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवी कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष
29	इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिक	219	दो वर्ष	
30	मेकेनिक रफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनर	218	दो वर्ष	
31	ड्राफ्ट्समेन (सिविल)	217	दो वर्ष	
32	मैकेनिक एयर कंडीशनिंग प्लांट	405	दो वर्ष	
33	कारपेन्टर	206	एक वर्ष	
34	मेसन (भवन निर्माण)	211	एक वर्ष	
35	प्लम्बर	209	एक वर्ष	
36	शीट मेटल वर्कर	213	एक वर्ष	
37	वेल्डर	212	एक वर्ष	
38	सर्वेयर	207	एक वर्ष	



स.क्र.	ट्रेड का नाम	ट्रेड कोड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
39	मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्टस	407	एक वर्ष	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित के साथ
40	एग्रो प्रोसेसिंग	280	एक वर्ष	
41	फुड एण्ड बेवरेजस सर्विस असिस्टेंट	252	एक वर्ष	
42	फूट्स एंड बेजीटेबिल प्रोसेसिंग	245	एक वर्ष	
43	स्वीईंग टेक्नालाजी	247	एक वर्ष	
44	सरफेस ऑरनामेंटेशन टेक्नीक्स (एम्ब्रायडरी)	249	एक वर्ष	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।
45	फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी	246	एक वर्ष	
46	बेसिक कॉस्मेटॉलॉजी	239	एक वर्ष	
47	लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर	117	एक वर्ष	
48	सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस (अंग्रेजी)	258	एक वर्ष	
49	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)	259	एक वर्ष	
50	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	260	एक वर्ष	
51	आफिस असिस्टेंट कम कम्प्यूटर आपरेटर	120	एक वर्ष	
52	ड्रेस मेकिंग	248	एक वर्ष	
53	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	242	एक वर्ष	
54	डेस्क टॉप पब्लिशिंग आपरेटर	243	एक वर्ष	10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।
55	मल्टीमीडिया एनीमेशन स्पेशल इफेक्ट्स	244	एक वर्ष	
56	हाउसकीपर	255	एक वर्ष	
57	फ्लोरीकल्चर एण्ड लेण्ड स्केपिंग	108	एक वर्ष	
58	बेकर एण्ड कन्फेक्शनर	251	एक वर्ष	
59	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	114	एक वर्ष	
60	कम्प्यूटर एडेड एमोएडी एंड डिजाइन	250	एक वर्ष	
61	पेंटिंग एण्ड इटीरियर डेकोरेशन	406	एक वर्ष	

परिशिष्ट-दो

आईटीआई में संचालित ट्रेड जिनमें एसडीसी के संबंधित मॉड्यूल में उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश के पात्र होंगे

स. क्र.	एसडीसी के मॉड्यूल			आईटीआई में संचालित ट्रेड जिनमें प्रवेश की पात्रता होगी		
	मॉड्यूल	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	ट्रेड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
<b>1.</b>	<b>इलेक्ट्रीकल सेक्टर</b>			इलेक्ट्रीशियन	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
1.1	इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक	450 घंटे	8वीं			
1.2	इलेक्ट्रीशियन कमर्शियल	460 घंटे	8वीं			
1.3	इलेक्ट्रीशियन इण्डस्ट्रियल	820 घंटे	8वीं			
<b>2.</b>	<b>कम्प्यूटर सेक्टर</b>			कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>2.1</b>	कम्प्यूटर ऑपरेटर-180 घण्टे - 10 वी			ऑफिस असिस्टेंट कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>2.2</b>	आईटी इशेशियल, हार्ड वेयर				एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>2.3</b>	टेक्निसियन-480 घण्टे - 10 वी				डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	एक वर्ष
				मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>3</b>	<b>टेलर सेक्टर</b>			स्वीडिंग टेक्नालॉजी	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>3.1</b>	टेलर -580 घण्टे - 8 वी			ड्रेस मैकिंग	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>4</b>	<b>इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक</b>			इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>4.1</b>	टीवी एण्ड डीटीएच टेक्नीशियन			इंफरमेशन टेक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मैन्टेनेंस / इलेक्ट्रॉनिक्स	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>4.2</b>	मोबाईल टेक्नीशियन					
<b>5</b>	<b>कन्स्ट्रक्शन सेक्टर</b>					
5.1	कन्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन	550 घंटे	8वीं	इलेक्ट्रीशियन	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
5.2	प्लंबर	600 घंटे	5वीं	प्लंबर	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
5.3	मेसन	700	5वीं	मेसन	एक	परिशिष्ट 'एक' अनुसार

स. क्र.	एसडीसी के मॉड्यूलस			आईटीआई में संचालित ट्रेड जिनमें प्रवेश की पात्रता होगी		
	मॉड्यूल	अवधि	शैक्षणिक योग्यता	ट्रेड	अवधि	शैक्षणिक योग्यता
		घंटे			वर्ष	अनुसार
<b>6</b>	<b>वेल्डर सेक्टर</b>					
6.1.	वेल्डर (आर्क)	490 घंटे	8वीं	वेल्डर	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
6.2.	वेल्डर पाईप	520 घंटे	8वीं			
6.3.	वेल्डर गैस	430 घंटे	8वीं			
<b>7</b>	<b>पेन्टिंग सेक्टर</b>					
7.1.	पेंटर (हाउस)	490 घंटे	5वीं	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
7.2.	पेंटर (इंडस्ट्री)	430 घंटे	5वीं			
<b>8</b>	<b>रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग सेक्टर</b>					
8.1.	रेफ्रिजरेशन मैकेनिक	580 घंटे	5वीं	मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
8.2.	एसी प्लांट मैकेनिक	460 घंटे	8वीं	मैकेनिक एयर कंडीशनिंग प्लांट	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>9</b>	<b>एग्रीकल्चर सेक्टर</b>					
<b>9.1</b>	टेक्निशियन ट्रेक्टर - 630 घण्टे - 5 वी			ट्रेक्टर मैकेनिक	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
				मोटर मैकेनिक	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
				डीजल मैकेनिक	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>10</b>	<b>आटोमोबाईल सेक्टर</b>					
<b>10.1</b>	फोर व्हीलर मैकेनिक - 600 घण्टे - 10 वी			मैकेनिक ट्रेक्टर	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>10.2</b>	टू व्हीलर मैकेनिक - 600 घण्टे - 10 वी			मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार
<b>10.3</b>	आटो इलेक्ट्रिशियन - 460 घण्टे - 5 वी					
<b>10.4</b>	ड्रायवर कम मैकेनिक - 520 घण्टे - 8 वी			मैकेनिक डीजल	एक वर्ष	परिशिष्ट 'एक' अनुसार


i hi hi h vkbMhvkbl e i i os' k dh l hvk dk fooj . k

स.क्र.	जिले का नाम	संस्था का नाम	अवधि	ट्रेड का नाम	आईएमसी सीटें
1	ej sJk	l cyx<	दो वर्ष	फिटर	4
2	fHk. M	fHk. M	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			दो वर्ष	फिटर	4
			एक वर्ष	मेकेनिक डीजल इंजन	8
			एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	10
3	fHk. M	vVj	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
4	Xokfy; j	efgyk Xokfy; j	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	10
5	nokl	Vksda[ kqz	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
6	j r yke	efgyk j r yke	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
7	j r yke	l s ykuk	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
8	j r yke	vkykV	एक वर्ष	वेल्डर	4
9	enl kJ	enl kJ	दो वर्ष	फिटर	4
10	uhep	uhep	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
11	uhep	tkon	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
12	mTtU	efgyk mTtU	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
13	blnkj	efgyk bnkj	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	10
14	/kkj	/kkeukn	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			दो वर्ष	फिटर	4
			एक वर्ष	मेकेनिक डीजल इंजन	8
15	vyhjkt i j	tkcV	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
16	[kj xku	मण्डलेश्वर	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
17	[kMok	[kMok	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	8
			दो वर्ष	फिटर	8
			एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5

स.क्र.	जिले का नाम	संस्था का नाम	अवधि	ट्रेड का नाम	आईएमसी सीटें
18	Hkki ky	efgyk Hkki ky	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	10
			एक वर्ष	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	10
			दो वर्ष	ड्राफ्टसमेन मेकेनिकल	5
			एक वर्ष	स्वीईंग टेक्नालाजी	10
19	l hgkj	l hgkj	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
			दो वर्ष	ड्राफ्टसमेन (सिविल)	5
20	l hgkj	cpuh	दो वर्ष	इलेक्ट्रानिक मेकेनिक	5
			एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
21	l hgkj	ul : Yykrat	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
22	jk; l u	jk; l u	दो वर्ष	फिटर	4
			एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
23	fofn' kk	fofn' kk	एक वर्ष	वेल्डर	8
			दो वर्ष	ड्राफ्टसमेन (सिविल)	5
			एक वर्ष	कारपेन्टर	5
24	gk' kxkckn	bVkj l h	दो वर्ष	फिटर	4
			दो वर्ष	ड्राफ्टसमेन (सिविल)	5
			एक वर्ष	मेकेनिक डीजल इंजन	8
			एक वर्ष	वेल्डर	8
			एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
25	gk' kxkckn	fl ouh ekyok	एक वर्ष	वेल्डर	8
26	gj nk	gj nk	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
27	gj nk	j gVxkø	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
28	l xkj	efgyk l xkj	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
29	l xkj	chuk	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			एक वर्ष	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड	10

स.क्र.	जिले का नाम	संस्था का नाम	अवधि	ट्रेड का नाम	आईएमसी सीटें
				प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	
30	nekg	nekg	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
31	i Uk	i Uk	दो वर्ष	ड्राफ्टसमेन (सिविल)	5
32	Vhdex<+	i Fohi j	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
33	जबलपुर	बरगी	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
34	जबलपुर	मझौली	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
35	जबलपुर	शहपुरा जबलपुर	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
36	जबलपुर	महिला जबलपुर	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	10
37	कटनी	कटनी	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			दो वर्ष	फिटर	8
			एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	10
38	कटनी	विजयराधवगढ़	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			दो वर्ष	फिटर	4
39	नरसिंहपुर	गाडरवारा	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			दो वर्ष	फिटर	4
40	नरसिंहपुर	गोटेगांव	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	8
			दो वर्ष	फिटर	4
41	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	दो वर्ष	फिटर	8
42	छिंदवाड़ा	पांडुरना	दो वर्ष	फिटर	4
43	छिंदवाड़ा	महिला छिन्दवाडा	एक वर्ष	स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी)	5
44	fl ouh	cj ?kkV	दो वर्ष	फिटर	4
			दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
45	fl ouh	doykj h	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
46	fl ouh	dj b/	एक वर्ष	वैल्डर	8
			एक वर्ष	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	10
47	fl ouh	?ka kJ	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			एक वर्ष	मेकेनिक डीजल इंजन	8

स.क्र.	जिले का नाम	संस्था का नाम	अवधि	ट्रेड का नाम	आईएमसी सीटें
			एक वर्ष	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	10
			एक वर्ष	वेल्डर	4
48	fl ouh	Ni kj k	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
49	eMyk	fuokl	एक वर्ष	प्लम्बर	5
			एक वर्ष	स्वीडिंग टेक्नालाजी	4
50	eMyk	uſui gj	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
51	ckyk?kkV	fdj uki gj	एक वर्ष	वेल्डर	4
			दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
52	<b>डिण्डौरी</b>	<b>शहपुरा डिण्डौरी</b>	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
53	l ruk	U; gj keuxj	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
54	vuii i gj	cuſckjh	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
55	vuii i gj	tſrgjh	दो वर्ष	इलेक्ट्रिशियन	4
			दो वर्ष	फिटर	4
				<b>योग</b>	<b>489</b>





vud fpr tkfr@vud fpr tutkfr iæk.k & i =  
dk; kÿ; & vufôHkkxh; vf/kdkjh %i æk. khdj . k½

अनुभाग ..... जिला ..... मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....  
प्रमाण पत्र क्रमांक .....

tkfr iæk.k i =

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

माता/पिता/पति/पालक का नाम..... निवासी ग्राम/नगर.....

वि.ख. .... तहसील..... जिला.....

संभाग ..... के ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य  
है और इस जाति/जनजाति को संविधान 341/343 के अधिनियम मध्यप्रदेश के संबंध  
में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....  
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम  
1975 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है ।

अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ..... माता/पिता/पति/पालक का नाम.

अनुसूचित जाति/जनजाति का है ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की  
कुल वार्षिक आय रुपये ..... है ।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम , oa l hy  
पदनाम

e/; i ns'k dh vU; fi NM tkfr %Øhehys j dks NkM dj ½ Js kh ds vkj f{kr  
LFkkuk ij i ns'k ds fy; si Lrqr fd, tkus okys i ek.k & i = a dk ik: i

i ek.k i =

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .....  
.....आत्मज श्री .....  
निवासी / ग्राम .....जिला / संभाग .....  
..... मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो .....जाति के हैं  
जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं  
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना ..... क.  
एफ-8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसंबर 1994 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।  
श्री ..... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः  
मध्यप्रदेश जिला ..... संभाग .....में निवास करता  
है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....  
(पिता का नाम) क्रीमिलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं,  
जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र ..... क.  
360/2/22/93 स्थ. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में  
तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7/26/93 अ दिनांक  
3 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट-ई की अनुसूची के कालम-3 में किया गया है।

कौशल चल्म

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम , oa l hy

पदनाम

e/; i n's'k 'kkl u] l ekt dY; k.k foHkkx  
fodykx mEehnokj k ds fy; s fpfdLI k i æk. k&i =

इस छात्रवृत्ति के प्रयोजन के विकलांग व्यक्ति वह हैं, जिसमें रोगी शारीरिक गड़बड़ी अथवा बेरीलापन हो जिसके कारण उसकी हड्डियां मांसपेशियां या जोड़ों के सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा हो ।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अर्थात् डॉ. .... रजिस्ट्रेशन नं. ....

उम्मीदवार की जाँच की और वह उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत अपंग है :-

1. उम्मीदवार का नाम : .....
2. माता/पिता का नाम : .....
3. स्त्री/पुरुष : .....
4. अनुमानित आयु : .....
5. पहचान चिन्ह : .....
6. (क) अपंगता का प्रकार (नीचे दी गई संबंधित अंश पर सही का निशान लगा दें -पोलियो के बाद लकवा, चतुरंगघात अस्थिभंग आदि का वृत्तियोग, तांत्रित घात, उध्वेशाखा, अधःशाखा, पंगुता, पीड़ाकारी, लघुता, विरूपता, जन्मजात उपर्जित घुटने के नीचे नितम्ब, हैसिप्रेल्वेटीमा फओप्रर्टस, कलाई, अंगुलियां, कुहनी के नीचे पीर कसाटे पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय (ई.एन. टी.) आंख, कान, मूक की अपंगता को छोड़कर)
- (ख) अपंगता की मात्रा प्रतिशत का अनुमान (मैक ब्राईड सकेल) शरीर रचना, क्रियात्मक (रोगीकृत निर्धारित, परीक्षाकृत, निर्धारित ) आर्थिक आधार पर प्रतिशतता के रूप में उल्लेख करें, अशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर ।
- (ग) उपकरण के प्रयोग (नीचे की सूची से संबंधित अंश पर सही का निशान लगा दें) केलीपर, बैसाखी घुटने के उपर,घुटने के नीचे, कृत्रिम अंग, घड़ी एक पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय कुहनी के नीचे हैमिपेल्वेरटोमी स्कंध सीधे ।
- (घ) कोई आपरेशन किया गया हो या बनवाया गया हो ।
- (द) फोटो (साक्ष्यांकित) ।  
फोटो में यथासंभव यह दिखाया जाये कि अशक्तता का स्वरूप क्या है और किस प्रकार का उपकरण (यदि हो) प्रयुक्त किया गया है ।
7. अशक्तता का स्वरूप और उसकी मात्रा को स्पष्ट करने के लिए कोई अन्य विवरण, जिसे सर्जन देना चाहे ।

विकलांग सर्जन / असिस्टेंट  
सर्जन के हस्ताक्षर

.....  
उम्मीदवार के हस्ताक्षर  
स्थान :  
दिनांक :

पदनाम .....  
कार्यालय की मोहर .....  
पता .....

i zi = &pkj

Lora=rk l æke l ukuh oxl ds fy, i æk.k&i =

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी.....  
(उम्मीदवार का नाम) श्री/ श्रीमती ..... (उम्मीदवार के  
माता/ पिता का नाम) के/की वैध पुत्र/पुत्री हैं। जो श्री/श्रीमती .....  
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध पुत्र/पुत्री हैं।  
(2) श्री/श्रीमती .....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) मध्यप्रदेश के  
जिला ..... (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के  
पंजी में क्रमांक ..... पर पंजीकृत हैं ।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर कलेक्टर  
(कार्यालय की मोहर)

i zi = i kp

l fud@ Hkrioz l fud @v) l fud oxl ds fy, i æk.k & i =  
Hkkx & ¼v½

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती ..... जो  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ..... प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती .....  
..... के पुत्र/पुत्री/आश्रित हैं ।

श्री .....

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक भूतपूर्व सैनिक हैं।  
सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ..... पद पर थे/थी और उनका सर्विस  
क्रमांक ..... था ।

स्थान .....  
हस्ताक्षर.....  
दिनांक .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

.....  
कार्यालयीन सील

foHkkxh; vf/kdkjh@delpkjh ds iq=@iqf=; k ds fy; s i ek.k&i = i zi = N%

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/संचालनालय में ..... के पद पर कार्यरत हैं । यह प्रमाण पत्र उनके पुत्र/पुत्री ..... को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के लिए जारी किया जाता है ।

स्थान :

प्रमुख के हस्ताक्षर

ग्राम / नगर / तहसील :

संस्था / कार्यालय

(कार्यालय सील)



i i = | kr

vukFk vkJe e i i yus okys vkondk ds fy; s i æk.k&i =

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. / श्रीमती .....  
अनाथ आश्रम .....जिला ..... के प्रशिक्षणार्थी हैं। इनके  
रहने, पालन पोषण एवं देखभाल इसी आश्रम के अंतर्गत किया जाता है। श्री/कु.  
/श्रीमती ..... इस आश्रम में जन्म से/दिनांक .....  
से पल रहे हैं। उनके नाम की प्रविष्टि अनाथ आश्रम के पंजीयन सरल क्रमांक .....  
..... दिनांक ..... पर की गई है तथा यह आश्रम / अनाथालय म.प्र.शासन के  
समाज कल्याण एवं पंचायत विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त है जिसका संदर्भ क्रमांक .....  
दिनांक ..... है।

दिनांक :

अनाथ आश्रम प्रमुख के हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर एवं

कार्यालय  
स्थान :

सील  
पंजीयन क्रमांक  
प्रति हस्ताक्षरित

उप संचालक  
पंचायत एवं समाज कल्याण  
जिला कार्यालय.....



ftyk , oa jktLo l kkkx ds fuokl h dk i æk.k & i =

i i = vkB

क्रमांक .....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु./ श्रीमती .....  
आत्मज/ आत्मजा / पत्नी ..... मध्यप्रदेश के ग्राम .....  
तहसील.....जिला ..... के निवासी है। जो .  
..... राजस्व संभाग में आता है। यह प्रमाण-पत्र श्री / कु./ श्रीमती .....  
..... को राजस्व संभाग की शैक्षणिक / प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए  
प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

हस्ताक्षर  
प्राधिकृत अधिकारी  
(नाम एवं सील)

स्थान:

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. ....  
 आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री ..... जो  
 तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश के  
 निवासी हैं,

क्योंकि वह –

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई हैं ।

✓Fkok

वह / उनका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है ।

2. उनके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है ।

3. वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं ।

4. इसके अतिरिक्त अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।

✓Fkok

उन्होंने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है :-

अ. 10+2 प्रणाली की दसवीं / बारहवीं कक्षा की परीक्षा

ब. आठवीं कक्षा की परीक्षा

कौशल बलप

.....  
 प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
 पदनाम एवं सील

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....के पुत्र  
/ पुत्री / श्री / कुमारी ..... जो म.प्र. की आई.टी.  
आई.में प्रवेश का / की उम्मीदवार है, जम्मू एवं काश्मीर राज्य से विस्थापित है ।

श्री ..... (पिता का नाम) एवं उनका परिवार  
वर्तमान में मध्यप्रदेश ..... (शहर एवं जिले का नाम) में दिनांक .....  
में निवास कर रहा हैं ।



.....  
हस्ताक्षर  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व )  
( कार्यालयीन सील )



vkouu & i =

I kekU; ¼vU; fi NMk oxL I fgr½ fu/kU oxkZ ds i f' k{k. kkfFkZ; k dh Nk=ofRRk@f' k"; ofRr ; kstuk grq

1. छात्र/छात्रा का नाम :- .....
2. छात्र/छात्रा के पिता/पति का नाम :- .....
3. मूल निवासी का स्थायी पता :- .....
4. वर्तमान पता :- .....
5. अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष :- .....  
(10वीं की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न की जावें।
6. अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं प्रतिशत :- .....  
(अर्हकारी परीक्षा न्यूनतम 80 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो तो 10वीं की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न की जावें।
7. व्यवसाय का नाम :- .....
8. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र :- .....
9. सक्षम अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी आय/भूमि प्रमाण पत्र:- .....  
(आय प्रमाण पत्र जो समस्त स्रोतों से रू0 75000/- से अधिक न हों)  
तथा उनके परिवार के स्वामित्व में 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।

स्थान :-

दिनांक:-

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर एवं नाम

vkouu & i =

0; kol kf; d i kB; dæka ea v/; ; ujr- l keku; %vU; fi NMk oxZ l fgr½  
fu/kU oxZ ds i f' k{k. kkfFkz; ka ds fy; s fodækfñR; fu% kq'd f' k{k ; kst uk  
grr

1. छात्र/छात्रा का नाम :- .....
2. छात्र/छात्रा का आधार नम्बर:- .....
3. छात्र/छात्रा के पिता/पति का नाम :- .....
4. मूल निवासी का स्थायी पता :- .....
5. वर्तमान पता :- .....
6. अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष :- .....  
(10वीं, की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न की जावें।
7. अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं प्रतिशत :- .....  
(अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो - 10वीं, की अंकसूची की प्रमाणित  
छायाप्रति) संलग्न की जावें।
8. व्यवसाय का नाम :- .....
9. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र :- .....
10. सक्षम अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी आय/भूमि प्रमाण पत्र:- .....  
(आय प्रमाण पत्र जो समस्त स्रोतों से रू0 120000/- से कम का हो  
प्रमाण पत्र)
11. शिक्षण शुल्क की राशि अंकों में रू. 3000/- (शब्दों में) रूपये तीन हजार  
मात्र।

LFkku %&  
fnukad%&

Nk=@Nk=k ds  
gLrk{kj , oa uke

i 0's'k ds l e; i Lrr fd; s tkus okyk ?kks'k. kk i =  
¼' ki Fk i =½

में -----पिता श्री -----

व्यवसाय ----- सत्र- अगस्त 2018, संस्था -----

में प्रवेश लेना चाहता/चाहती हूँ।

मैं, यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान यदि मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट/हानि पहुँचती है, तो वह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैं संस्था/विभाग के ऊपर किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर  
दिनांक  
स्थान

पिता/पालक के  
दिनांक  
स्थान

